

भारत में नविश संवर्द्धन

प्रलिस के लयः

प्रत्यक्ष वदशी नवश, आत्मनरिभर अभयान, इनसॉलवेंसी एंड बैकरप्सी कोड, ईज़ ऑफ डूइंग बज़नेस रैंकग, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट फंड, इनवेस्ट इंडया

मेन्स के लयः

भारत में नविश संबधी मुददे और उसके संवर्द्धन हेतु उठाए गए कदम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिकी वदश वभाग ने '2021 इनवेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट्स: इंडया' (2021 Investment Climate Statements: India) शीर्षक से एक रपिर्ट जारी की। रपिर्ट में आर्थिक मंदी और कोवडि-19 महामारी के मद्देनज़र भारत सरकार द्वारा कयि गए संरचनात्मक आर्थिक सुधारों की सराहना की गई है।

- हालॉक रपिर्ट में कहा गया है कभारत व्यापार करने के लयि एक चुनौतीपूर्ण स्थान बना हुआ है।
- इससे पहले यूके इंडया बज़नेस काउंसलि (UKIBC) ने ज़ोर देकर कहा था कआत्मनरिभर भारत कार्यक्रम के तहत कुछ सुधारों के परणाम यूके और सभी बहुराष्ट्रीय कंपनयों के लयि नकारात्मक हो सकते हैं।

प्रमुख बदिः

- **नजीकरण:** फरवरी 2021 में भारत सरकार ने एक [महत्त्वाकांक्षी नजीकरण कार्यक्रम](#) के माध्यम से 2.4 बलियन डॉलर जुटाने की योजना की घोषणा की, जो अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका को नाटकीय रूप से कम कर देगी।
- **हाल के आर्थिक सुधार:**
- **प्रत्यक्ष वदशी नविश (FDI) उदारीकरण:** अगस्त 2019 में सरकार ने उदारीकरण उपायों के एक नए पैकेज की घोषणा की और कोयला खनन तथा अनुबंध नरिमाण सहति कई क्षेत्रों को [सवचालति मारु](#) के तहत लाया गया।
 - मार्च 2021 में संसद ने भारत के बीमा क्षेत्र को और उदार बनाया तथा [प्रत्यक्ष वदशी नविश \(FDI\) की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दया](#)।
- **आत्मनरिभर भारत अभयान: कोवडि-19 से संबंधति आर्थिक मंदी का मुकाबला करने के लयि भारत सरकार ने [आत्मनरिभर भारत अभयान](#) शुरू कयि।**
 - इस कार्यक्रम में व्यापक सामाजिक कल्याण और आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रमों तथा बुनयादी ढाँचे एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च में वृद्धि की परकिल्पना की गई है।
 - इसके अलावा इसका उद्देश्य वैश्विक बाज़ार में हसिसेवारी हासलि करने के लयि सुरक्षा अनुपालन और सामानों की गुणवत्ता में सुधार करते हुए प्रतस्तिथान पर ध्यान केंद्रति कर आयात नरिभरता को कम करना है।
- **उत्पादन लकिंड प्रोत्साहन योजना:** सरकार ने फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनकिस और अन्य क्षेत्रों में वनरिमाण को बढ़ावा देने के लयि [उत्पादन से जुडे प्रोत्साहनों](#) को भी अपनाया।
- **इनसॉलवेंसी एंड बैकरप्सी कोड:** वर्ष 2016 में [इनसॉलवेंसी एंड बैकरप्सी कोड](#) (IBC) की शुरुआत और कार्यान्वयन ने इनसॉलवेंसी संबंधति मौजूदा ढाँचे को बदल दया तथा अधिक आवश्यक सुधारों का मार्ग प्रशस्त कयि।
 - पछिले तीन वर्षों में भारत ने [वशिव बैंक की ईज ऑफ डूइंग बज़नेस रैंकग](#) में सबसे अधिक सुधार कयि है, वह रज़िलवगि इनसॉलवेंसी मेट्रिक के तहत रहा है।
- **मध्यस्थता के वैश्विक मानकों का मलान: भारत सरकार ने [मध्यस्थता और सुलह \(संशोधन\) अधनियम, 2021](#) पारति कयि।**
 - अधनियम में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के लयि प्रावधान तथा सुलह की कार्यवाही संचालति करने हेतु कानून को परभषति कयि गया है।
- **सॉवरेन वेलथ फंड:** वर्ष 2016 में भारत सरकार ने [नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट फंड](#) (NIIF) की स्थापना की, जसि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नविश को बढ़ावा देने के लयि भारत का पहला सॉवरेन वेलथ फंड माना जाता है।

- सरकार ने फंड में 3 अरब डॉलर का योगदान देने पर सहमत जितार्ई, जबकि अतिरिक्त 3 अरब डॉलर नजी क्षेत्र से जुटाए जाएंगे।
- **श्रम संहिता:** बजट 2021 में सरकार ने घोषणा की कि अप्रैल, 2021 से भारत में [चार श्रम संहिताओं](#) को लागू किया जाएगा।
 - इन श्रम संहिताओं में देश के पुरातन श्रम कानूनों को सरल बनाने और श्रमिकों के लाभों से समझौता किये बिना आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की परकिलपना की गई है।
- **ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में सुधार के लिये अन्य उपाय:**
 - **इनवेस्ट इंडिया :** यह आधिकारिक निवेश संवर्द्धन एवं सुविधा प्रदाता एजेंसी है, जो निवेशकों के साथ उनके निवेश जीवनचक्र के माध्यम से बाज़ार प्रवेश रणनीतियों, उद्योग विश्लेषण, भागीदारी खोज और आवश्यकता के अनुसार नीतिकी वकालत करने के साथ-साथ सहायता प्रदान करने के लिये काम करती है।
 - **प्रगति पहल:** विशेष रूप से प्रमुख परियोजनाओं के मामले में अनुमोदन प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिये भारत सरकार ने [सक्रिय शासन और सामयिक कार्यान्वयन \(PRAGATI - Pro-Active Governance and Timely Implementation\)](#) पहल शुरू की।
 - यह सरकार की अनुमोदन प्रक्रिया को गति देने के लिये एक डिजिटल, बहु-उद्देश्यीय मंच है।

वदेशी निवेशकों के लिये चतिनीय आर्थिक नीतियाँ:

- विवादास्पद नरिणय: हाल ही में सरकार ने दो विवादास्पद नरिणय लिये अर्थात् [जम्मू और कश्मीर राज्य \(J&K\) से विशेष संवैधानिक दर्जा हटाना](#) तथा [नागरिकता संशोधन अधिनियम \(CAA\), 2019](#) पारित करना।
 - हालाँकि भारत का कहना है कि CAA और अनुच्छेद 370 को समाप्त करना उसका आंतरिक मामला था तथा "किसी भी वदेशी पार्टी को भारत की संप्रभुता से संबंधित मुद्दों को उठाने का कोई अधिकार नहीं है।"
- नए संरक्षणवादी उपाय: अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों ने वदेशी पूंजी के साथ-साथ प्रबंधन और नियंत्रण प्रतबंधों के लिये इक्विटी सीमाएँ बरकरार रखी हैं, जो निवेश को अवरुद्ध करते हैं।
 - उदाहरण : वर्ष 2016 में भारत ने [घरेलू एयरलाइनों में 100% तक एफडीआई](#) की अनुमति दी थी, लेकिन पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण (SOEC) नियमों का मुद्दा, जो कि भारतीय नागरिकों द्वारा बहुमत नियंत्रण को अनिवार्य करता है, को अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है।
- द्विपक्षीय निवेश समझौते और कराधान संधियाँ : भारत ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता कार्यवाही में निवेश परिस्थितियों के अनुकूल नरिणयों के पश्चात् दिसंबर 2015 में एक नए मॉडल [द्विपक्षीय निवेश संधि \(Bilateral Investment Treaty-BIT\)](#) को अपनाया।
 - नया मॉडल बीआईटी वदेशी निवेशकों को निवेशक-राज्य विवाद नपिटान विधियों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है और इसके बजाय वदेशी निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में भाग लेने से पूर्व सभी स्थानीय न्यायिक एवं प्रशासनिक उपायों को समाप्त करने की आवश्यकता होती है।
- खरीद नियम शामिल हैं जो प्रतस्पर्द्धी वकिलों को सीमित करते हैं: [सरकारी खरीद के लिये प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस \(PMA\)](#) ने भारत में कार्यरत वदेशी फर्मों के लिये काफी चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं।
 - राज्य के स्वामित्व वाले "सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम" और सरकार द्वारा 50% से अधिक स्थानीय सामग्री का उपयोग करने वाले वकिरेताओं को 20% मूल्य वरीयता दी जाती है।
- बौद्धिक संपदा अधिकार: कमज़ोर बौद्धिक संपदा (IP) के संरक्षण और प्रवर्तन को लेकर चिंताओं के कारण भारत को वर्ष [2020 की स्पेशल 301 नामक रिपोर्ट में प्राथमिकता नगिरानी सूची \(PWL\)](#) में रखा गया।
- भ्रष्टाचार: [ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक \(CPI\) 2020](#) में भारत 40 अंकों के साथ 180 देशों में 86वें स्थान पर है।
- **अन्य मुद्दे:** ऐसे अन्य मुद्दे हैं जो द्विपक्षीय व्यापार में वसितार को प्रतबंधित करते हैं जैसे- स्वच्छता और पादप स्वच्छता (Phytosanitary) मानक एवं भारतीय-वशिष्ट मानक, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं।

आगे की राह

- भारत सरकार को निवेश और व्यवसायों के लिये नौकरशाही बाधाओं को कम करके एक आकर्षक एवं विश्वसनीय निवेश वातावरण को बढ़ावा देना चाहिये।
- भारत और अन्य देशों की सरकारों को मानकों, व्यापार सुविधा, प्रतस्पर्द्धी एवं डंपिंग रोधी जैसे क्षेत्रों में सहयोग करना चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस